न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/3594/2005/चितौडगढ

1. गीता बाई बेवा रामकिशन पाटीदार निवासी सिदपुरा तहसील प्रतापगढ जिला चितौडगढ
2. जगदीश पुत्र रामकिशन पाटीदार निवासी सिदपुरा हाल निवासी निपानिया आबाद (सेमलीचन्द्रवत) तहसील नीमच जिला नीमच

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. धापू बाई बेवा घनश्याम
2. परसराम पुत्र घनश्याम नाबालिग जरिये परसराम माता धापू बेवा घनश्याम निवासी सिदपुरा तहसील प्रतापगढ जिला चितौडगढ
3. घनश्याम पुत्र अम्बालाल
4. शिवलाल पुत्र लाला
5. काना पुत्र अम्बालाल
6. जगदीश पुत्र लाला

   निवासीगण सिदपुरा तहसील प्रतापगढ जिला चितौडगढ
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ

–प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/6158/2011/चितौडगढ

1. सम्पत बाई पुत्री रामकिशन पत्नी हरीराम निवासी ग्राम भडभडिया तहसील व जिला नीमच

–अपीलार्थी

बनाम

1. धापू बाई बेवा घनश्याम
2. परसराम पुत्र घनश्याम नाबालिग जरिये सरंक्षक माता धापू बाई
3. घनश्याम पुत्र अम्बालाल
4. शिवलाल पुत्र लाला
5. काना पुत्र अम्बालाल
6. जगदीश पुत्र लाला
7. गीता बाई बेवा रामकिशन

निवासीगण सिदपुरा तहसील प्रतापगढ जिला चितौडगढ
8. जगदीश पुत्र रामकिशन निवासी लपानिया तहसील प्रतापगढ
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता अपील सं.–3594/05 में अपीलार्थीगण एवं अपील संख्या–6158/2011 में प्रत्यर्थी संख्या– 7 व 8 की ओर से
श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता, अपील सं–3594/05 में प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 एवं अपील संख्या–6158/2011 में प्रत्यर्थी सं.– 1 व 2 की ओर से
श्री आर.पी. शर्मा, अधिवक्ता, अपील सं.– 6158/2011 में अपीलार्थी की ओर से
श्री एस.के. पुरोहित, अधिवक्ता अपील संख्या–6158/2011 में प्रत्यर्थी संख्या– 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

यह दोनों अपीलें अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध दोनों अपीलें

प्रस्तुत होने से योग्य अधिवक्तागण की सहमति से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. प्रकरण संख्या–3594/2005 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 4.17 हैक्टयर भूमि बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 गीताबाई व प्रतिवादी संख्या–6 जगदीश का बराबर – बराबर हिस्सा है तथा वादपत्र की मद संख्या–5 व मद संख्या–6 में वर्णित अनुसार वर्षो पूर्व आपसी बंटवारा हो चुका है, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 दखलन्दाजी करते है व प्रतिवादी संख्या–5 व 6 भी आराजी का बंटवारा करने से इन्कार करते है। अतः वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 , 2, 3, 5 व 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र की मद संख्या–1 में अंकित अनुसार बंटवारा किये जाने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर चार विवाद्यक कायम किये। तत्पश्चात् मूल खातेदार रामकिशन की पुत्री सम्पतबाई की ओर से विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 13/2000 को आदेश दिनांक 22–10–2002 से मूल वाद के साथ संलग्न की गयी। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–05–2005 से श्रीमती सम्पत बाई पुत्री रामकिशन को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 5 व 6 के साथ सहखातेदार घोषित कर वादीगण को

1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–5 मु0 गीताबाई बेवा रामकिशन का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–6 जगदीश पिता रामकिशन का 1/4 हिस्सा व अपीलान्ट सम्पतबाई पुत्री रामकिशन का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। साथ ही उपरोक्तानुसार नामान्तरकरण संख्या 182 की प्रविष्टि संख्या 201 को निरस्त किया तथा तहसीलदार प्रतापगढ को कमिश्नर नियुक्त कर फर्द बंटवारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये एवं निर्णय की एक प्रति अपील संख्या–13/2000 में संलग्न की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें अपील संख्या–13/2000 के अपीलार्थी श्रीमती सम्पतबाई का पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–03–2005 से आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में श्रीमती सम्पतबाई पुत्री रामकिशन को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन की डिक्री पारित की, उसे निरस्त कर विवादित आराजी में वादी संख्या–1 धापूबाई को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–2 परसराम को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–5 गीताबाई को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–6 जगदीश को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण संख्या–5 व 6 अपीलार्थीगण की ओर से अपील संख्या–3594/2005 द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या–13/2000 की अपीलार्थी श्रीमती सम्पतबाई की ओर से अपील संख्या–6158/2011 मय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. योग्य अधिवक्ता श्री जी.एस. लखावत ने अपनी बहस में अपील संख्या– 3594/2005 में वर्णित तथ्यों को दोहररते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी ने सम्पतबाई की ओर से नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को वाद के साथ समाहित कर निर्णय पारित किया तथा सम्पतबाई द्वारा उक्त अपील में जो अनुतोष चाहा गया था वह उसे प्रदान करते हुए निर्णय की एक प्रति अपील पत्रावली में संलग्न की गयी थी। अर्थात् नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री लागू हो गया, जिसे पृथक से वादीगण प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 द्वारा चुनौती नहीं दी गयी तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील में श्रीमती सम्पतबाई को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत की गयी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध सम्पतबाई की ओर से प्रस्तुत अपील को मूल वाद के साथ संलग्न करने के उपरान्त पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि मृतक खातेदार रामकिशन के चार उत्तराधिकारी होने के कारण उनकी भूमि में चार हिस्से होने है तथा प्रत्येक वारिस को 1/4 हिस्सा विधिवत् प्राप्त होना है परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सम्पतबाई के हिस्से बाबत् गलत विवेचना अंकित कर वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 घनश्याम पुत्र रामकिशन के वारिस को कुल भूमि में से आधी भूमि का खातेदार घोषित करने तथा पारित निर्णय में यह अंकित करने में कि सम्पतबाई चाहे तो अपना हिस्सा जगदीश व गीता के हिस्से की भूमि में से ले सकती है, विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण मूल खातेदार रामकिशन के पुत्र घनश्याम की बेवा व पुत्र

है, जिनको विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा ही प्राप्त हो सकता है, 1/4 हिस्सा मृतक खातेदार की बेवा प्रतिवादी संख्या–5 गीताबाई को 1/4 हिस्सा, जगदीश पुत्र रामकिशन एवं 1/4 हिस्सा सम्पतबाई पुत्री रामकिशन को प्राप्त होगा। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलाथीगण ने धारा 5 मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

6. योग्य अधिवक्ता श्री आर.पी. शर्मा ने अपील संख्या–6158/2011 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील का भी निस्तारण करते हुए अपील के माध्यम से चाहा गया अनुतोष मूल वाद में प्रदान किया, जिसके विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की। उनका कथन है कि अपीलार्थी क हित अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित है। अतः धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। योग्य अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। योग्य अधिवक्ता आर.पी.

शर्मा ने अपील के गुणवगुण बाबत् अधिवक्ता श्री जी.एस. लखावत द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन करते हुए अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखे जाने का कथन किया।

7. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को मूल वाद के साथ एकजाई करने के उपरान्त श्रीमती सम्पतबाई के 1/4 हिस्से बाबत् वाद बिन्दू कायम किये बिना तथा मूल वाद में पक्षकार बनाये बिना सम्पतबाई को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि मृतक रामकिशन के दो पुत्र घनश्याम एवं जगदीश थे, जिनका विवादित आराजी में 1/2 – 1/ हिस्सा निहित है। वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 घनश्याम के वारिसान होने से विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी प्रत्येक तनकी पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

8. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. सर्वप्रथम हम अपील संख्या–3594/2005 के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में अपीलार्थी जगदीश की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुए कुछ माह के विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

9. अपील संख्या–6158/2011 के साथ प्रस्तुत धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी सम्पतबाई अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं थी तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलार्थी सम्पतबाई को विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से निरस्त कर दिया। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलार्थी सम्पतबाई के विवादित आराजी में निहित हक व अधिकार प्रभावित होते है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी सम्पतबाई को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. तत्पश्चात् अपील संख्या–6158/2011 के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथपत्र तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं होने एवं अपील के सुदृढ आधार पर खडी होने के तथ्यों के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी बाबत् नरम रूख अपनाया

जाकर देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाता है।

11. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी मूल खातेदार रामकिशन की खातेदारी की भूमि है, जिसके दो पुत्र घनश्याम व जगदीश थे तथा रामकिशन के जीवनकाल में एक पुत्र घनश्याम का देहान्त हो गया। मूल खातेदार के मृतक पुत्र घनश्याम के वारिसान में वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 मु0 धापू बेवा एवं पुत्र परसराम है। मूल खातेदारी की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी जरिये नामान्तरकण मु. धापू बेवा घनश्याम, परसराम पिता घनश्याम नाबालिग जरिये वली माता धापू, जगदीश पुत्र रामकिशन एवं मु. गीताबाई बेवा रामकिशन के नाम दर्ज की गयी। विरासत के नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज सहखातेदार वादीगण मु0 धापू एवं परसराम की ओर विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में निहित 1/2 हिस्से का पृथक खाता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया। उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में सम्पतबाई की ओर से विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 13/2000 की गयी। उक्त अपील को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2002 से मूल वाद के साथ संलग्न की गयी। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–05–2005 से श्रीमती सम्पत बाई पुत्री रामकिशन को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 5 व 6 के साथ सहखातेदार घोषित कर वादीगण को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–5 मु0 गीताबाई बेवा रामकिशन का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–6 जगदीश पिता रामकिशन का 1/4 हिस्सा व अपीलान्ट सम्पतबाई पुत्री रामकिशन का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर

बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की, जो उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् प्रतीत होती है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पक्षकारान के अभिकथनों से यह भलीभांति प्रमाणित है कि मूल खातेदार रामकिशन के चार उत्तराधिकारी होने के कारण उनकी भूमि में चार हिस्से विभक्त होगी तथा प्रत्येक वारिस को 1/4 हिस्सा विधिवत् प्राप्त होना है परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सम्पतबाई के हिस्से बाबत् गलत विवेचना अंकित कर वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 घनश्याम पुत्र रामकिशन के वारिस को कुल भूमि में से आधी भूमि का खातेदार घोषित करने तथा पारित निर्णय में यह अंकित करने में विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण मूल खातेदार रामकिशन के पुत्र घनश्याम की बेवा व पुत्र है, जिनको विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा ही प्राप्त होगा, 1/4 हिस्सा मृतक खातेदार की बेवा प्रतिवादी संख्या–5 गीताबाई को 1/4 हिस्सा, जगदीश पुत्र रामकिशन एवं 1/4 हिस्सा एवं सम्पतबाई पुत्री रामकिशन को प्राप्त होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिकी पारित की गयी है। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर मूल खातेदार रामकिशन की पुत्री सम्पतबाई का 1/4 हिस्सा निरस्त करने में तथा वादीगण धापू बाई व परसराम, जो मूल खातेदार रामकिशन के मृतक पुत्र घनश्याम के वारिस है, को 1/4 – 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

15–03–2005 को निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–05–2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य